**बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन**

2432. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के नामज क्या हैं, जिन्होंने अब तक बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ; और

(ख) उन प्रतिष्ठानों द्वारा जिन्होंने अब तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है, इन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर)** : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार 1581 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 566 प्रतिष्ठानों ने सिफारिशों को पूरी तरह, 48 प्रतिष्ठानों ने आंशिक तौर पर लागू किया है । उन 166 प्रतिष्ठानों की उपलब्ध सूची संलग्न है जिन्होंने सिफारिशों का कार्यान्वियन किया है । (देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या–54) ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वियन नहीं किये जाने का कारण वित्तीय कठिनाइयां और बछावत पंचाट के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अनेक रिट याचिकायें हैं और इस अवस्था में सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिये कोई निश्चित तारीख का उल्लेख करना संभव नहीं होगा ।

**मध्य प्रदेश के श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद**

2433. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) क्या सरकार इस राज्य में कुछ और श्रम न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि, नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर)**: (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विभिन्न औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में 30–6–91 को 2067 औद्योगिक विवाद तथा 1072 आवेदन लम्बित थे । मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और श्रम न्यायालय में 812 मामले तथा 1130 आवेदन लंबित थे ।

(ख) से (घ) वित्तीय कठिनाईयों के कारण मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरणों या श्रम न्यायालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**Chest Clinics for Beedi Workers**

2434. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of proposals and plans under Government's consideration for providing more medical facilities to beedi workers in different regions of the country;

(b) whether it is a fact that the number of Chest Clinics for beedi workers are not adequate; and

(c) if so, the steps being taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) We have already sanctioned two hospitals one at Gurshahaiganj, UP (10-bedded) and another at Dhuliyan West Bengal (50-bedded). The 10